क्रम संख्या–60

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 30 जून, 2017 ई0

आषाढ़ 09, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 260 / XXXVI(3) / 2017 / 48(1) / 2017

देहरादून, 30 जून, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017" पर दिनांक 30 जून, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 10 वर्ष, 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2017

(अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2017)

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे यहाँ आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 की वर्तमान उपधारा (24) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी; अर्थात्:–

(24) "आयुक्त" से धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर प्रधान आयुक्त/मुख्य आयुक्त भी है;

धारा 11 का संशोधन

3. "मूल अधिनियम" की धारा 11 की वर्तमान उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी जाएगी; अर्थात–

(4) परिषद् की संस्तुति पर धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी किसी अधिसूचना अथवा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश इस अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचना या जैसी भी स्थिति हो, आदेश समझे जाएंगे।

धारा 52 में संशोधन

4. "मूल अधिनियम" की धारा 52 की वर्तमान उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात:–

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी पूर्तियों, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति है तथा मास के दौरान उपधारा (1) के

अधीन संग्रहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत से 10 दिन के भीतर इलैक्ट्रॉनिकी रूप में विवरण प्रस्तुत करेगा।"

धारा 79 में संशोधन

5. "मूल अधिनियम" की धारा 79 की वर्तमान उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा; अर्थात्:–

(1)(ग)(iii) किसी व्यक्ति को, जिसे उपखण्ड(i) के अधीन सूचना जारी की गयी है, के उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों के सभी परिणाम लागू होंगे;

धारा 93 में संशोधन

6. "मूल अधिनियम" की धारा 93 की वर्तमान उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी; अर्थात्:–

(4) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है,–

(क) किसी प्रतिपाल्य का संरक्षक है, जिसकी ओर से संरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है; या

(ख) कोई न्यासी है, जो फायदाग्राही के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि संरक्षकता या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, प्रतिपाल्य या फायदाग्राही कराधेय व्यक्ति से संरक्षकता या न्यास के समापन तक शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण संरक्षकता या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है किन्तु जो असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

आज्ञा से,

डा0 नरेन्द्र के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
विधायी प्रकोष्ठ।

412/17

कारण एवं उद्देश्य

'उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम,2017' विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–212/XXXVI(3)/32(1)/2017, दिनांक 26 मई, 2017 द्वारा अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिनियम के प्रावधान जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा अनुमोदित एवं उपलब्ध कराये गये ड्राफ्ट के अनुसार रखे गये हैं, परन्तु परीक्षणोपरान्त उक्त अधिनियम के हिन्दी संस्करण में कतिपय कमियां प्रकाश में आयी हैं, जिनका निराकरण जी0एस0टी0 प्रणाली लागू होने से पूर्व किया जाना आवश्यक है।

2. उक्तानुसार 'उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017' की धारा 2 की उपधारा (24) में आयुक्त की परिभाषा की त्रुटि को दूर करने, अधिनियम के अंग्रेजी संस्करण के अनुरूप धारा 11 की उपधारा (3) के पश्चात् उपधारा (4) जोड़े जाने, अधिनियम के अंग्रेजी संस्करण के अनुरूप धारा 52 की उपधारा (4) में प्रयुक्त शब्दावली '10 दिन के पश्चात्' को '10 दिन के भीतर' किये जाने, अधिनियम के अंग्रेजी संस्करण के अनुरूप धारा 79 की उपधारा (1)(ग)(iii) में शब्दावली 'इस नियम या तद्धीन बनाये गये सभी नियमों के परिणाम' के स्थान पर 'इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के सभी परिणाम' प्रतिस्थापित किये जाने तथा धारा 93 की उपधारा (4)(क) एवं (4)(ख) में अधिनियम के अंग्रेजी संस्करण के अनुरूप 'अभिरक्षक' एवं 'अभिरक्षा' के स्थान पर कमशः 'संरक्षक' एवं 'संरक्षकता' शब्दों का उल्लेख किये जाने के लिये मूल अधिनियम में संशोधन आवश्यक हैं।

3. उक्त वर्णित स्थिति में 'उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017' की धारा 2 की उपधारा (24), धारा 11, धारा 52 की उपधारा (4), धारा 79 की उपधारा (1)(ग)(iii) तथा धारा 93 की उपधारा (4)(क) एवं (4)(ख) में अग्रेत्तर संशोधन हेतु 'उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017' को विधान सभा में पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अतः 'उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2017' सदन के विचारार्थ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 विधायी/378–2017–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।